


पंचवारी हाथक राजपुर ७७ V/S शेरासिंह

पुकरण डा १५/२०२२ बुकेग तिथी ५-१०-२२ निर्णय दिनेक २७-६-२३

२७-६-२३ आज पत्रावली चेश हुई रिपोर्ट पंचवारी हाथक अनुसार संक्षेप मे तद्य निम्न पुकार से है कि गैर साफल शेरासिंह पुत्र गंगा राम जाली बेजार निवासी राजपुर ७७ में ग्राम राजपुर ७७ के आयाती खुल्ल गबर २५५/२३०३२कका १५-५७ है भूमि-कागगाह मे ले ०.०५ है पर पक्क मकाठ कताक अतिक्रमण कर लिपा है। जिस पर गैर साफल के विरुद्ध पुकरण राजधान यू राजत्व आधीतिपत्र/१९७ की धारा १०के अन्तर्गत दर्ज एजिल्टर कर गैर साफल को नोटिस कताक १९५७ दिनेक ५-१०-२२के द्वारा तलाब किया गया गैर साफल द्वारा अतिक्रमण करना स्वीकार किया गया। एउ उक्त आयात कताक करीब ३० वर्षों ले रह रहा है। एउ उक्त आवांस के अलावा अन्य कोई जगह नहीं है।


उक्त पुकरण से लाखाब्दी एक पत्रावली पूर्व से दर्ज मि लफकं १०५/२०२० दर्ज है। सिद्धे भारतीय सिविल न्यायाधीश महोदय राजगढ़ के भेदा ले स्थगन आदेश है शामिल पत्रावली की गई। गैर साफल को उक्त अतिक्रमण के लाखध मे पुत्र नोटिस जारी कर तलाब किया गया। गैर साफल वाचपुद शामिल सूचना के अनुपाधिन/जासिंह है। उक्त अतिक्रमण के लाखध मे कुछ वही कदना, भारतीय सिविल न्यायाधीश महोदय राजगढ़ के भेदा ले जसि स्थगन आदेश भी अब नहीं हैन पर अतिक्रमी काबिल के रखली है। उक्त गैर साफल को आयाती पसगनबर २५५/२३०३२कका ०.०५ है भूमि-कागगाह से


तहसिलदार लखाला
राजगढ़ जिला अलवर

वा में
श्रीमान् तह
तहसील
निवेदन
कब्जा कार

केरवणी के आदेश दिये जाते हैं। एवं
शाही स्वरूप 1=10 रूपये की 50 गुण 50/2
पचास गुण कायम की जाती है। भू-अभिसर
परवर्षी धरणी राजपुर 837 के विदवणी एवं पैसली
वधुणी देन लिखा जावे, तहसील राजपुर लेखाकार
को 24/12/23 को भू-अभिसर देन लिखा-
जावे। पचासवणी के लाल भू-अभिसर टोकर नखर से
कायम है।

निर्णय आज दिनांक 27-6-23 को युवल
न्यायालय में सुनाया गया।


तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

ग. न. स. 4 वर्ष.. 2023-24
डे फूट संख्या... 37 पर चारपे . 50/-
राशि कायम किये गये।
पिबठि
त. रा. लेखाकार